(वाद सं0–4777/2015)

22.07.2021

परिवादी, जागेश्वर नाथ मिश्रा, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, राज्य सरकार द्वारा परिवादी के पिता के नाम से मौजा–कसवा, खाता संख्या–446, खेसरा–1842 में सरकार द्वारा बन्दोवस्त की गयी 2 1/2 डी0 जमीन को युवक संग, शाहकुण्ड द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड के प्रतिवेदनानुसार मौजा–कसवा, खरही में परिवादी के पिता गंगाधर मिश्र को राज्य सरकार द्वारा 2 1/2 डी0 जमीन बन्दोवस्त की गयी थी जिसका बन्दोवस्ती संख्या–700 है तथा यह बन्दोवस्ती पंजी–2 में भी दर्ज है। अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड के प्रतिवेदनानुसार दिनांक–09.01.2016 को अंचल अमीन से जमीन का नापी कराकर मामला का निष्पादन कर दिया गया है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में तथा आज राज्य आयोग के समक्ष मौखिक रूप से कथन है अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड द्वारा राज्य आयोग के समक्ष गलत प्रतिवेदन दिया गया है। अंचल कार्यालय, शाहकुण्ड द्वारा उसके बन्दोवस्तीवाली जमीन के एक हिस्से को अनधिकृत कब्जे से मुक्त नहीं कराया गया और न ही बन्दोवस्त वाली जमीन को चिन्हित ही किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन पर राज्य आयोग द्वारा अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड द्वारा पुनः राज्य आयोग को सूचित किया गया कि परिवादी के पिता गंगाधर मिश्र के नाम से बन्दोवस्ती की गयी 2 1/2 डी0 जमीन का नापी कर मामले का निष्पादन कर दिया गया है। उनका कथन है कि परिवादी के बन्दोबस्त वाली चिन्हित जमीन की चौहदी निम्न प्रकार हैः–

उ0–अरूण मंडल, द0–आलम खाँ, पू0–कुर्सी तथा दीवार, प0–पक्की सड़क।

परिवादी का कथन है कि अंचल अमीन द्वारा अपने प्रतिवेदन में बन्दोबस्त वाली जमीन के चौहदी में पूरब में उल्लिखित कुर्सी तथा दीवार परिवादी के बन्दोवस्ती की जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर बनाया गया है।

एक तरफ अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड द्वारा राज्य आयोग को यह प्रतिवेदित किया जा रहा है कि परिवादी को राज्य सरकार द्वारा बन्दोवस्ती की गयी जमीन को चिन्हित कर उसका दखल कब्जा दिलवा दिया गया है, जबकि परिवादी का कथन है कि अभी भी नयुवक संघ, परिवादी के बन्दोवस्ती की गयी जमीन के एक हिस्से पर दखल कब्जा बनाये हुए है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध है कि इस परस्पर विरोधी स्थिति के आलोक में वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी से स्थल पर भौतिक जांच कराकर दिनांक–17.11.2021 के पूर्व तक राज्य आयोग को प्रतिवेदन समर्पित किया जाय कि क्या परिवादी को राज्य सरकार द्वारा बन्दोवस्त की गयी $2_{1/2}$ डी0 जमीन पर दखल कब्जा है या नहीं? अगर उक्त बन्दोवस्त की गयी जमीन के हिस्से पर अनधिकृत अतिक्रमण है तो उसे तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–7–1/प0), अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड के प्रतिवेदन (पृ0–15–13 एवं 45–43/प0) व परिवादी के प्रत्युत्तर (पृ0–47/प0) को संलग्न कर जिला पदाधिकारी, भागलपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए उसका एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

संचिका दिनांक–24.11.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक